Youth Manifesto

Jharkhand: Vision 2050

पहचान | अवसर | सम्मान | न्याय | आर्थिक विकास | मानव विकास | सुराज

AdiNeeti
Strengthening Rights

प्रस्तावना

झारखंड की भूमि ने जल, जंगल, ज़मीन के लिए अनगिनत संघर्ष देखे हैं। झारखंड आंदोलन, जो 2000 में राज्य गठन के रूप में परिणत हुआ, एक अलग "आदिवासी और मूलवासी" पहचान की मांग पर आधारित था। यह सामाजिक न्याय, गरिमा, बेहतर शासन और क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष था, जहां इसके अपने लोगों को विकास और समृद्धि के अवसरों से वंचित रखा गया था।

झारखंड की मांग पहचान, न्याय, सम्मान, विकास, अवसर और सुशासन की थी। राज्य गठन के 24 साल बाद भी, इन सपनों में से कोई भी साकार नहीं हुआ। इसके बजाय, शासन प्रणाली भ्रष्ट हो गई है, सामुदायिक संस्थाएँ कमजोर हो गई हैं, और हाशिए पर रहने वाले लोग असहायता में पलायन कर गए हैं। महिलाओं को अभी भी शोषण के लिए तस्करी की जाती है और उन्हें कम वेतन वाली घरेलू नौकरानियों के रूप में शिकार बनाया जाता है, और युवाओं को एक ऐसी प्रणाली ने धोखा दिया है जो उन्हें नौकरियों का अवसर नहीं देती और उन्हें बेरोजगार बना देती है। जो लोग झारखंड के सपने के लिए अपना यौवन और नौकरियाँ त्याग कर आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्हें किनारे कर दिया गया है।

झारखंड के लोगों को एक ऐसी प्रणाली ने उत्पीड़ित किया है जो उनके लिए निर्धारित अवसरों और संसाधनों को छीन लेता है – जब सरकार के खजाने को कोयला और भूमि घोटालों से खाली कर दिया जाता है, जब सीएनटी / एसपीटी संरक्षित भूमि को माफिया और भ्रष्ट नौकरशाहों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जाता है, जब घटिया बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, जब छात्रों से उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कमीशन मांगा जाता है, जब वृद्ध विधवाओं को उनके आवास के लिए कमीशन देना पड़ता है, जब ठेके और निविदाएँ राज्य से बाहर की कंपनियों को दी जाती हैं, और जब शिक्षा विभाग का ध्यान शिक्षण परिणामों के बजाय स्थानांतरण और पदस्थापना पर होता है।

यह घोषणा पत्र वोट बैंक की तुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड के युवाओं और लोगों की एक पुकार है। हम झूठे वादों और चुनावी वादों से थक चुके हैं जो हमें या राज्य को लाभ नहीं पहुंचाते हैं। हम प्रणालीगत सुधार चाहते हैं जो राज्य के अंतिम व्यक्ति की सेवा करें।

हम दीर्घकालिक निवेश योजनाएं चाहते हैं जो रोजगार सृजित करें, युवाओं को कुशल बनाएं और झारखंड को विकास के मार्ग पर ले जाएं। हम यह चाहते हैं कि झारखंड दैनिक मजदूरी के श्रमिकों का केवल आपूर्तिकर्ता न बने। हम यह भी चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा वितरण सरकार की प्राथमिकता बने – इस राज्य के विकास की नींव को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 40% लोग स्थायी रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठें।

घोषणा पत्र का उद्देश्य: यह घोषणा पत्र वोट बैंक की तुष्टि के लिए नहीं है। यह झारखंड के युवाओं और लोगों की एक पुकार है। हम झूठे वादों और चुनावी वादों से थक गए हैं जो हमें और राज्य को कोई लाभ नहीं पहुंचाते हैं। हम उन प्रणालीगत सुधारों की मांग करते हैं जो इस राज्य के अंतिम व्यक्ति की सेवा करें। हम दीर्घकालिक निवेश योजनाएं चाहते हैं जो रोजगार सृजित करें, युवाओं को कुशल बनाएं और झारखंड को विकास की दिशा में ले जाएं।

विकास के सात स्तंभ

1. पहचान (Identity)

- झारखंड आंदोलन राज्य की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने के लिए था। इस पहल में डोमिसाइल नीति लागू करने, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण देने, और स्थानीय भाषाओं के संवर्धन पर जोर दिया गया है। आदिवासी आस्था के सम्मान में, सरना धर्म कोड को मान्यता देने की मांग की गई है, जिससे झारखंड के सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की रक्षा हो सके।

2. अवसर (Opportunities)

- झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके तहत सरकारी भर्तियों में शीघ्रता, डिजिटल उद्यमिता और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करने की योजनाएं शामिल हैं। एक राज्य संचालित आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से निजी क्षेत्र की नौकरियों को औपचारिक रूप दिया जाएगा, ताकि श्रमिकों को उचित वेतन और सुरक्षित कार्य स्थितियां मिल सकें।

3. सम्मान (Dignity)

- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन को दोगुना करने और महिला-केंद्रित उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी कल्याण बोर्ड और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके।

4. न्याय (Justice)

- भूमि सुधार और आदिवासी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना, 77% आरक्षण का लक्ष्य, और प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण किया जाएगा। जलवायु न्याय को विकास योजना में शामिल किया गया है, जिससे पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित समुदायों की सुरक्षा की जा सके।

5. आर्थिक विकास (Economic Development)

- झारखंड को एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का विकास किया जाएगा। स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए 'मेड इन झारखंड' ब्रांडिंग अभियान चलाया जाएगा, और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी की जाएगी। एमएसएमई के लिए अनुकूल वित्तीय योजनाओं की शुरुआत होगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों का विस्तार और विकास हो सके।

6. मानव विकास (Human Capital Development)

- शिक्षा, कौशल विकास, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाकर एक कुशल और स्वस्थ कार्यबल तैयार करने का लक्ष्य है। शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, और स्कूली शिक्षा में गेमिफिकेशन पर ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे डिजिटल समाधान लागू किए जाएंगे।

7. सुशासन (Good Governance)

- भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों की नियमित ऑडिटिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक मंचों की स्थापना शामिल है। ग्राम सभाओं को मजबूत करके स्थानीय प्रशासन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा, नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर और कुशलतापूर्वक प्रदान करने के लिए सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

Contents

1. **पहचान: पहचान नीति (Identity: Domicile Policy)**
    - डोमिसाइल नीति (Domicile Policy)
    - स्थानीय भाषाओं का संवर्धन (Promotion of Local Languages)
    - सरना धर्म कोड (Sarna Dharma Code)

2. **अवसर (Opportunities)**
    - नियोजन नीति (Employment Policy)
    - सरकारी नौकरी नियुक्ति (Government Job Recruitment)
    - झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग निगम (Jharkhand State Outsourcing Corporation)
    - क्रिएटिव इकॉनमी (Creative Economy)

3. **सम्मान (Dignity)**
    - महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)
    - प्रवासी श्रमिक (Migrant Workers)
    - झारखंड आंदोलनकारी (Jharkhand Andolankari)

4. **न्याय (Justice)**
    - भूमि सुधार (Land Reforms)
    - सामाजिक न्याय (Social Justice)

5. **आर्थिक विकास (Economic Development)**
    - निजी क्षेत्र का विकास (Private Sector Development)
    - पूंजी निवेश (Capital Investment)
    - इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (Infrastructure)
    - ग्रामीण विकास (Rural Development)

6. **मानव विकास (Human Capital Development)**
    - शिक्षा (Education)
    - कौशल विकास (Skill Development)
    - स्वास्थ्य (Health)
    - खेल (Sports)

7. **सुशासन (Good Governance)**
    - भ्रष्टाचार विरोधी सुधार (Anti-Corruption Reforms)
    - ग्राम सभा और पेसा को सशक्त बनाना (Strengthening Gram Sabha and PESA)

पहचान (Identity)

झारखंड, जो अपने समृद्ध आदिवासी विरासत के लिए जाना जाता है, ने लंबे समय तक अपने आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए संघर्ष किया है। राज्य की आबादी का 26% से अधिक हिस्सा आदिवासी है, और डोमिसाइल और नियोजन नीति (रोजगार आरक्षण) को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और शासन में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना आदिवासी भाषाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा, और सरना कोड को मान्यता देना झारखंड की जनजातीय पहचान और विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा

1. **डोमिसाइल:** झारखंड की डोमिसाइल नीति को इसकी आदिवासी और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को स्थापित करना चाहिए, उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मान्यता देते हुए। हम 1932 के खतियान (भूमि सर्वेक्षण) को स्थानीयता को मान्यता देने के आधार के रूप में प्रस्तावित करते हैं। जहां 1932 का खतियान लागू नहीं होता है, वहां अंतिम भूमि बंदोबस्ती सर्वेक्षण को स्थानीय पहचान के रूप में मान्यता देने का आधार होना चाहिए। यह अगली सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

   यह प्रस्तावित किया जाता है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें "डोमिसाइल" की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई हो जो लंबे समय तक निवास, आदिवासी विरासत, और स्थानीय भाषा के ज्ञान पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुलभ होनी चाहिए, ताकि स्थानीय समुदायों को संसाधनों, रोजगार, और शैक्षणिक अवसरों तक उनका हकदार पहुंच मिले।

2. **स्थानीय भाषा का संवर्धन:** स्थानीय भाषाओं जैसे संताली, हो, कुड़ुख, मुंडा, और नागपुरी को सामाजिक जीवन, प्राथमिक शिक्षा, और आधिकारिक कार्यों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा में तीन-भाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है – स्थानीय, क्षेत्रीय (हिंदी), और अंग्रेजी – ताकि समावेशिता और झारखंड की भाषाई विविधता को बढ़ावा दिया जा सके। शिक्षकों को इस प्रारूप में कक्षाएं देने के लिए प्रशिक्षित और संसाधनों से सुसज्जित किया जाएगा।

3. **सरना धर्म कोड:** झारखंड के आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने विशिष्ट धर्म, सरना, को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। जनगणना और आधिकारिक रिकॉर्ड में सरना धर्म कोड को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अनुयायी अपनी पैतृक आस्था के साथ अपनी पहचान कर सकें। यह कदम हमारे आदिवासी समुदायों की आध्यात्मिक पहचान का सम्मान करेगा, जिन्होंने अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों, और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को पीढ़ियों से बनाए रखा है।

अवसर (Opportunities)

झारखंड की बेरोजगारी दर लगभग 7.5% पर है, और इसकी अधिकांश आबादी कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भर है। इसे दूर करने के लिए, डिजिटल और रचनात्मक उद्यमिता के लिए हब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें ई-कॉमर्स, एनीमेशन, और सामग्री निर्माण जैसे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए नई पीढ़ी के रोजगार के अवसर बनेंगे। इसके अलावा, झारखंड की अनुकूल जलवायु को देखते हुए जैविक खेती को निर्यात के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके और ग्रामीण रोजगार बढ़े।

नियोजन नीति (NIYOJAN NEETI)

1. **स्थानीय रोजगार आरक्षण:** ₹30,000 प्रति माह से कम वेतन वाली सभी निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 77% आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे नई रोजगार संभावनाओं में झारखंडियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे छोटे और बड़े निजी उद्यमों में प्रति वर्ष 1,00,000 स्थानीय रोजगार सृजित होंगे।

2. **कौशल मानचित्रण और रोजगार पंजीकरण:** राज्य-व्यापी रोजगार रजिस्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें 5,00,000 नौकरी चाहने वालों के कौशल को मैप किया जाएगा। यह डेटाबेस पंजीकृत उम्मीदवारों को विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के आधार पर नियोक्ताओं से जोड़ने में सहायता करेगा, जिससे सरकारी सिफारिशों के माध्यम से प्रति वर्ष 2,00,000 से अधिक रोजगार संभव होंगे।

3. **झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग निगम:** निर्माण, आतिथ्य, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रति वर्ष 1,00,000 नौकरियों की देखरेख के लिए झारखंड राज्य आउटसोर्सिंग निगम की स्थापना की जाएगी। यह निगम नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा, झारखंडियों को उचित वेतन और नियंत्रित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करेगा।

4. **वृद्धित अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम:** सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में प्रति वर्ष 10,000 अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की जाएगी, जो स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए व्यावहारिक ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करेगी। प्रत्येक अप्रेंटिस को ₹8,000–₹10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, और सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद रोजगार की गारंटी दी जाएगी।

5. **न्यूनतम वेतन प्रवर्तन:** सभी पंजीकृत एमएसएमई और बड़े उद्यमों में 100% अनौपचारिक कार्यबल को न्यूनतम वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन होगा। नियमित ऑडिट और एक समर्पित श्रम हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी, जिससे राज्य भर में अनुमानित 3,00,000 अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार होगा।

6. **अंतर्राष्ट्रीय रोजगार निगरानी:** राज्य आउटसोर्सिंग निगम के भीतर एक समर्पित प्रभाग के माध्यम से प्रति वर्ष 20,000 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की निगरानी और सुविधा प्रदान की जाएगी। यह प्रभाग सत्यापित भर्ती एजेंसियों के साथ काम करेगा ताकि झारखंडियों को विदेशों में सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्य स्थितियां सुनिश्चित की जा सकें।

सरकारी नौकरियां (GOVERNMENT JOBS)

झारखंड में 2.8 लाख सरकारी नौकरी रिक्तियां हैं, जिससे नौकरी चाहने वालों में निराशा फैल रही है और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की कमी के कारण अक्षम कार्यप्रणालियां उत्पन्न हो रही हैं। इसे सुधारने के लिए, एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा सके और एक सामान्य पात्रता परीक्षा लागू की जा सके, जिससे सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में दक्षता आए। इसके अलावा, उम्र में छूट और देरी के लिए मुआवजा दिया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को सरकारी निकायों की विफलताओं के कारण अन्याय का सामना न करना पड़े। दूरस्थ क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कोचिंग और यात्रा पास प्रदान किए जाएंगे, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें

1. **सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी:** झारखंड में 2.8 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरना होगा।

2. **सामान्य पात्रता परीक्षा:** सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक राज्य-स्तरीय सामान्य पात्रता परीक्षा शुरू की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया में दक्षता आएगी और उम्मीदवारों को बार-बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. **कोचिंग और तैयारी सहायता:** राज्य के प्रत्येक जिले में निःशुल्क कोचिंग केंद्र और ऑनलाइन तैयारी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकारी नौकरियों की तैयारी में मदद मिल सके।

4. **आयु में छूट और रद्द परीक्षाओं के लिए मुआवजा:** भर्ती में देरी को ध्यान में रखते हुए, आयु में छूट प्रदान की जाएगी और प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को मुआवजा दिया जाएगा।

5. **परीक्षा उम्मीदवारों के लिए यात्रा पास:** दूरस्थ क्षेत्रों के उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिए जाएंगे, जिससे भौगोलिक दूरी किसी के लिए बाधा न बने।

6. **परीक्षा पेपर लीक मामलों के लिए त्वरित न्यायालय:** सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।

क्रिएटिव इकॉनमी (CREATIVE ECONOMY)

1. **झारखंड में आदिवासी कला का अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र:**
   झारखंड में आदिवासी और स्थानीय कला रूपों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र वैश्विक प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, और कलाकारों के

साथ सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे झारखंड की आदिवासी कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

2. **विश्व-स्तरीय परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर और ऑडिटोरियम:**
   झारखंड में एक विश्व-स्तरीय परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर और ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जहाँ आदिवासी और स्थानीय कला जैसे नृत्य, संगीत, नाटक और कहानी-कला के प्रदर्शन किए जा सकेंगे। यह आधुनिक और पारंपरिक कलाओं का मिश्रण प्रस्तुत करेगा।

3. **कलाओं में उत्कृष्टता के लिए 100+ अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ:**
   झारखंडी छात्रों को कला के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए 100+ पूर्ण रूप से वित्तपोषित छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। ये छात्रवृत्तियाँ दृश्य कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन, और वास्तुकला में होंगी, जिससे युवा कलाकारों को वैश्विक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

4. **जनजातीय कला और संस्कृति में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय:**
   एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो जनजातीय कला और संस्कृति के अनुसंधान, शिक्षा, नीति और व्यावहारिक कार्यों के लिए समर्पित होगा। यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करेगा और जनजातीय कला को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेगा।

5. **कला नवाचार के लिए अनुसंधान फैलो और प्रारंभिक पूंजी:**
   विभिन्न कला रूपों में अनुसंधान के लिए फैलोशिप और प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी। इन फैलो को पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, फिल्म/वीडियो कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स और अन्य में नवाचार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

6. **गाँव स्तर पर सांस्कृतिक क्लबों के लिए निधि:**
   स्थानीय परंपराओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए गाँव स्तर पर सांस्कृतिक क्लबों को निधि प्रदान की जाएगी। इन क्लबों द्वारा स्थानीय नाटकों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे प्रत्येक गाँव में अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का अवसर मिलेगा

सम्मान (Dignity)

महिला सशक्तिकरण (WOMEN EMPOWERMENT)

1. **महिलाओं के लिए 30% आरक्षण:** सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया जाएगा, जिससे महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभा सकें।

2. **अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन दोगुना करना:** आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मिड-डे मील कुक्स के वेतन को दोगुना किया जाएगा, जिससे उनके समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण में उनके अमूल्य योगदान को मान्यता मिल सके और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

3. **महिला उद्यमिता कार्यक्रम:** महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त, मेंटरशिप और व्यवसाय विकास प्रशिक्षण के साथ महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, विशेष रूप से जैविक खेती और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह प्रमुख कार्यक्रम आईआईटी, आईआईएम, और राज्य के आजीविका कार्यक्रमों के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा।

4. **बेटियों और बहनों को बेचने की प्रथा को समाप्त करें:** झारखंड में महिलाओं को बेचने की सभी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

5. **झारखंड से तस्करी को समाप्त करें:** झारखंड में महिलाओं और बच्चों की तस्करी को समाप्त करने के लिए मजबूत कदम उठाए जाएंगे, और सभी के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रवासी श्रमिक (MIGRANT WORKERS)

झारखंड के 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक विभिन्न शहरों से वापस आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों की कमी, एक बार की कृषि उत्पादकता (सिंचाई की कमी के कारण), और खराब वेतन दर के कारण झारखंड के लाखों लोग कठिनाई में बाहर जाते हैं।

1. **झारखंड प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना:** प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस बोर्ड के तहत कौशल विकास, लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण, और सेवानिवृत्त प्रवासियों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

2. **प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नंबर:** झारखंड से सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा नंबर जारी किया जाएगा।

3. **प्रवासी श्रमिकों का औपचारिक चैनलों से पंजीकरण:** अन्य राज्यों या विदेशों में काम करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को औपचारिक चैनलों के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और राज्य रोजगार कार्यालय द्वारा ट्रैक किया जाएगा।

4. **प्रवासी श्रमिकों के उच्च जनसंख्या वाले राज्यों के साथ सहयोग:** झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक कल्याण योजनाओं, जैसे कि राशन, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और सब्सिडी की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए उच्च जनसंख्या वाले राज्यों के साथ सहयोग किया जाएगा।

5. **प्रमुख हॉटस्पॉट्स में श्रमिक संघों और समूहों का आयोजन:** प्रमुख प्रवासी हॉटस्पॉट्स में श्रमिक संघों और समूहों का गठन किया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

झारखंड आंदोलनकारी (JHARKHAND ANDOLANKARI)

70,000 से अधिक युवाओं ने झारखंड आंदोलन में अपनी युवावस्था का बलिदान किया था।

1. **झारखंड आंदोलन संग्रहालय और स्मारक की स्थापना:** झारखंड आंदोलन के इतिहास को संरक्षित करने के लिए संग्रहालय और स्मारक की स्थापना की जाएगी, जिसमें आंदोलनकारियों की तस्वीरें, पत्र, और दस्तावेज़ होंगे। यह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

2. **झारखंड आंदोलनकारी पहचान पत्र:** झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन देने के लिए 100% पहचान पत्र की व्यवस्था होगी। पेंशन उन लोगों के परिवारों को भी दी जाएगी जो जेल नहीं गए थे लेकिन आंदोलन में सक्रिय थे।

3. **झारखंड आंदोलन पर आधारित फिल्मों और दस्तावेजों का प्रायोजन:** झारखंड आंदोलन में योगदान का जश्न मनाने के लिए फिल्मों और दस्तावेजों का निर्माण किया जाएगा।

4. **सरकारी नौकरियों में आंदोलनकारी परिवारों को प्राथमिकता:** झारखंड आंदोलनकारी परिवारों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

5. **झारखंड आंदोलन का ऑनलाइन संग्रह:** राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए झारखंड आंदोलन के लेख, वीडियो, और तस्वीरों का एक ऑनलाइन संग्रह तैयार किया जाएगा।

6. **अकादमिक पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय:** राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड के सभी पाठ्यक्रमों में झारखंड आंदोलन पर विशेष अध्याय जोड़े जाएंगे।

न्याय (Justice)

भूमि सुधार (LAND REFORMS)

झारखंड में भूमि एक संवेदनशील मुद्दा है, विशेष रूप से छोटानागपुर टेनेंसी (सीएनटी) अधिनियम और संथाल परगना टेनेंसी (एसपीटी) अधिनियम के कारण, जो आदिवासी भूमि की सुरक्षा करते हैं। हालांकि, अवैध भूमि कब्जा और रिकॉर्ड अपडेट की धीमी गति जैसी समस्याएं राज्य को प्रभावित करती हैं। हम भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, हम उन लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए पुनर्स्थापन न्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनकी भूमि अवैध रूप से अधिग्रहीत की गई है, और उन्हें मुआवजा या भूमि बहाली सुनिश्चित करेंगे।

1. **भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण:** सभी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसमें एकीकृत सार्वजनिक पहुंच प्रणाली होगी ताकि नागरिक भूमि के स्वामित्व को ट्रैक कर सकें और भूमि से संबंधित विवादों को कम किया जा सके।

2. **आदिवासी भूमिधारकों के लिए पुनर्स्थापन न्याय:** एक पुनर्स्थापन न्याय आयोग की स्थापना की जाएगी, जो उन मामलों की जांच करेगा, जहां आदिवासी भूमि अवैध रूप से कब्जा की गई है, और प्रभावित आदिवासी परिवारों को भूमि बहाली या मुआवजा सुनिश्चित करेगा।

3. **भूमि विवादों के लिए विशेष न्यायालय:** सीएनटी और एसपीटी अधिनियम से संबंधित विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निपटारे के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।

सामाजिक न्याय (SOCIAL JUSTICE)

झारखंड में एक महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, जिसमें से आदिवासी समूह राज्य की जनसंख्या का 26% से अधिक हिस्सा बनाते हैं। समान विकास सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना कराई जाएगी और सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में 77% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। पुनर्वास कार्यक्रम औद्योगिकीकरण और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों पर केंद्रित होंगे, और बीपीएल परिवारों के लिए मुआवजा और सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता होगी, और जलवायु न्याय को हमारी विकास रणनीति में शामिल किया जाएगा ताकि पर्यावरणीय प्रभावों से कमजोर समुदायों की रक्षा की जा सके।

1. **जाति जनगणना:** प्रभावी सामाजिक न्याय नीतियों को तैयार करने के लिए जाति जनगणना कराई जाएगी, जिससे सटीक डेटा प्राप्त होगा।

2. **विस्थापित जनसंख्या के लिए पुनर्वास:** औद्योगिकीकरण और भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित लोगों के लिए एक मजबूत पुनर्वास और मुआवजा कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

3. **बीपीएल परिवारों के लिए सामाजिक कल्याण:** गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए आवास, शिक्षा, और स्वास्थ्य देखभाल पर सब्सिडी सहित कल्याण योजनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

4. **प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** झारखंडी प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल स्थापित किया जाएगा।

5. **न्याय प्रणाली सुधार:** राज्य की न्याय प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज हो, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, और अदालत के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा।

6. **जलवायु न्याय:** जलवायु न्याय को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास के पर्यावरणीय लागतों का उचित वहन हो और सतत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

आर्थिक विकास (Economic Development)

निजी क्षेत्र का विकास (PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT)

1. **धारणा अभियान:** हरित अर्थव्यवस्था उद्योगों, निर्माण, और एसटीईएम क्षेत्रों में व्यवसाय के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में झारखंड की धारणा को सुधारने के लिए एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा।

2. **निर्माण और हरित अर्थव्यवस्था के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ):** विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का विकास किया जाएगा, विशेष रूप से निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और एसटीईएम-आधारित उद्योगों के लिए, और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

3. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्य बल:** प्रमुख सरकारी अधिकारियों, उद्योग के नेताओं, स्थानीय व्यापार प्रतिनिधियों, और वित्तीय संस्थानों के साथ एक कार्य बल का गठन किया जाएगा, जो निजी क्षेत्र के विकास की रणनीति को डिजाइन, पर्यवेक्षण और लागू करेगा।

4. **प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान:** उन क्षेत्रों की पहचान और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें सबसे अधिक विकास की संभावना है, जैसे कि खनन, कृषि (जैविक खेती और कृषि प्रसंस्करण), आईटी और डिजिटल सेवाएं, और नवीकरणीय ऊर्जा। ये क्षेत्र झारखंड के संसाधनों और कार्यबल की क्षमता के अनुरूप होंगे।

5. **कारोबार करने में आसानी के लिए त्वरित सुधार:** व्यवसाय पंजीकरण, लाइसेंसिंग, और अनुमोदन प्रक्रियाओं को तुरंत सरल और डिजिटल किया जाएगा। निवेशों को तेज़ी से ट्रैक करने के लिए एक सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली लागू की जाएगी।

6. **कर और नियामक प्रोत्साहन:** स्टार्टअप्स, एसएमई और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (जैसे कि हरित ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योग) में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए कर अवकाश या कटौती की घोषणा की जाएगी। प्रौद्योगिकी अपनाने, अनुसंधान और विकास, और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

7. **बुनियादी ढांचे के विकास पर तत्काल ध्यान:** सड़कों, बिजली, और डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, और कारोबार करने में सुविधा हो सके।

8. **एमएसएमई-अनुकूल वित्तीय योजनाएं:** एमएसएमई के लिए सरकार द्वारा समर्थित वित्तीय योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कम ब्याज दरों पर ऋण, क्रेडिट गारंटी, और कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच शामिल है। इसके लिए स्थानीय बैंकों के साथ साझेदारी की जाएगी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऋण का व्यापक रूप से वितरण हो सके।

पूंजी निवेश (CAPITAL INVESTMENT)

1. **झारखंड विकास कोष की स्थापना:** सार्वजनिक और निजी योगदान के साथ एक झारखंड विकास कोष की स्थापना की जाएगी, जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और एसएमई के लिए बीज वित्त, वेंचर कैपिटल, और वृद्धि पूंजी प्रदान करेगा।

2. **इन्क्यूबेटर और एक्सेलेरेटर:** विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, और एनजीओ के साथ साझेदारी करके बिजनेस इन्क्यूबेटर और एक्सेलेरेटर का निर्माण किया जाएगा, जो मेंटरशिप, व्यापार विकास, और बाजार संपर्क प्रदान करेंगे।

3. **निर्यात केंद्रित मूल्य श्रृंखला:** स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में मदद की जाएगी। इसमें जैविक खेती, कृषि प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, और खनिज उत्पादों में मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं बनाना शामिल होगा।

4. **'मेड इन झारखंड' ब्रांडिंग अभियान:** जैविक उत्पाद, आदिवासी कला, और खनिज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'मेड इन झारखंड' ब्रांडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर खरीदारों और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।

5. **ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ कनेक्शन:** स्थानीय उत्पादकों और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बीच साझेदारी की सुविधा दी जाएगी ताकि बाजार तक पहुंच बढ़ाई जा सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास (INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT)

1. **राज्य के भीतर परिवहन:** सभी गांवों को प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए इंट्रा-स्टेट सब्सिडी वाले बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, ताकि रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, और शिक्षा तक बेहतर पहुंच हो सके।

2. **बिजली बुनियादी ढांचा:** राज्य भर में 100% विद्युतीकरण और 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे हर घर और व्यवसाय को भरोसेमंद बिजली मिल सके।

3. **स्मार्ट ग्रिड तकनीक:** ऊर्जा की दक्षता बढ़ाने और तात्कालिकता के साथ बिजली आपूर्ति की निगरानी में सुधार के लिए स्मार्ट ग्रिड तकनीक लागू की जाएगी।

4. **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:** राज्य की ऊर्जा जरूरतों का 40% हरित ऊर्जा से पूरा करने के लक्ष्य के साथ सौर, पवन, और जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

5. **रिमोट क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा:** दूरदराज के गांवों के लिए सौर माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड समाधान विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त किया जा सके।

6. **राज्य भर में इंटरनेट का विस्तार:** झारखंड के हर गांव और शहर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण विकास (RURAL DEVELOPMENT)

1. **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का सुदृढ़ीकरण:**
   ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संघों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए DAY-NRLM के तहत 500 नए क्षेत्र-विशिष्ट संघ बनाए जाएंगे। इन संघों के सदस्यों को प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता प्रदान की जाएगी, जिससे स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का विस्तार:**
   MGNREGA के तहत 20% नौकरियों को वनों के प्रबंधन, कृषि वानिकी और पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचे के कार्यों में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही, 5,000 नए समुदाय प्रबंधित रेत और बजरी इकाइयों का निर्माण किया जाएगा, जो 50,000 स्थायी रोजगार और स्थानीय राजस्व में वृद्धि लाएगा।

3. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का सुदृढ़ीकरण:**
   PMGSY के तहत ग्रामीण खेतों और जंगलों को मुख्य राजमार्गों से जोड़ने के लिए 2,000 किलोमीटर नई 'कृषि लिंक सड़कें' बनाई जाएंगी। इन सड़कों के रखरखाव के लिए 10,000 ग्रामीण नौकरियाँ सृजित की जाएंगी।

4. **वन धन विकास केंद्र योजना का विस्तार:**
   रणनीतिक गाँवों के समूहों में 200 गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) प्रसंस्करण और विपणन इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिससे 50,000 आदिवासी परिवारों को सीधे लाभ होगा। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजारों तक पहुँचाने के लिए प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ साझेदारी की जाएगी।

5. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का विस्तार:**
   PMFBY के तहत झारखंड की सभी कृषि योग्य भूमि को कवर किया जाएगा और जलवायु-प्रतिरोधी फसलों के लिए विशेष कवरेज प्रदान की जाएगी। जैविक खेती करने वाले किसानों को अतिरिक्त 15% प्रीमियम छूट दी जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में जोखिम का प्रबंधन हो सके।

मानव विकास (Human Capital Development)

शिक्षा (EDUCATION)

1. **शिक्षक भर्ती का पुनर्गठन:** डेटा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, न कि याचिका आधारित स्थानांतरण पर। छात्र नामांकन, स्थानीय भाषा की आवश्यकताओं, और भूगोलिक चुनौतियों के आधार पर शिक्षकों को तैनात किया जाएगा, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, ताकि हर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ हो सके।

2. **दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन:** ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए वित्तीय और करियर विकास प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

3. **टेक्स्टबुक की समय पर डिलीवरी:** पाठ्यपुस्तकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक्स और ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, खासकर दूरस्थ क्षेत्रों में।

4. **डिजिटल लर्निंग सामग्री:** मोबाइल फोन या सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के लिए एक डिजिटल पुस्तकालय तैयार किया जाएगा, जिसमें पाठ्यपुस्तकें और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध होगी, ताकि भौतिक किताबों में देरी होने पर विकल्प मिल सके।

5. **सही स्तर पर शिक्षा (Teaching at the Right Level - TaRL):** छात्रों को उनके वर्तमान सीखने के स्तर के आधार पर समूहित किया जाएगा, और उन्हें उनके स्तर के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। नियमित रूप से आकलन किया जाएगा ताकि शिक्षा पद्धति को उनकी आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सके और साक्षरता और अंकगणित में उनकी नींव मजबूत की जा सके।

6. **अच्छे पुनर्पाठ कार्यक्रम:** उन छात्रों के लिए अतिरिक्त मदद उपलब्ध कराने के लिए पुनर्पाठ कार्यक्रम या आफ्टर-स्कूल कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे जो पढ़ाई में पीछे रह गए हैं।

7. **शिक्षकों का उन्नत प्रशिक्षण:** शिक्षकों को विशेष रूप से प्राथमिक साक्षरता और अंकगणित पढ़ाने पर जोर देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाएंगे।

8. **शिक्षा में गेमिफिकेशन:** कक्षा के भीतर, जिलों और राज्यों के भीतर ग्रेड-स्तर की दक्षता और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए बैज, पुरस्कार, और प्रतियोगिताओं जैसी गेमिफिकेशन रणनीतियों का उपयोग किया जाएगा।

कौशल विकास (SKILL DEVELOPMENT)

1. **झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का पुनर्गठन:** मांग-आधारित प्रशिक्षण और 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ कौशल विकास मिशन का पुनर्गठन किया जाएगा।

2. **ग्रामीण कौशल विकास के लिए पीएमकेवीवाई (PMKVY):** पीएमकेवीवाई को स्थानीयकृत किया जाएगा, जिसमें 500 कौशल हब होंगे, जो कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, और हस्तशिल्प जैसे ग्रामीण-आधारित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

3. **राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट:** सभी निजी और सार्वजनिक कंपनियों को झारखंड के 30 वर्ष से कम उम्र के डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप प्रदान करना अनिवार्यहो।

4. **सरकारी और निजी आईटीआई और पॉलिटेक्निक में ड्यूल ट्रेनिंग सिस्टम:** सभी सरकारी और निजी आईटीआई और पॉलिटेक्निक में व्यापार-विशिष्ट औद्योगिक साझेदारी होगी, ताकि सभी छात्र कम से कम 50% समय ऑन द जॉब ट्रेनिंग में बिताएं, जिससे वे औद्योगिक रोजगार के लिए अधिक योग्य बन सकें।

स्वास्थ्य (HEALTH)

1. **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना:** अधिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, अधिक मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी, और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, खासकर ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में।

2. **स्वास्थ्यकर्मी भर्ती और विकास:** डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स, और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती, प्रशिक्षण, और बनाए रखने के लिए नीतियों का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. **जनता के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC):** सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को मजबूत किया जाएगा और राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए लागू किया जाएगा।

4. **टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली:** ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं स्थापित की जाएंगी, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) प्रणाली को लागू किया जाएगा, ताकि निवारक देखभाल और रोग प्रबंधन में सहायता मिल सके।

खेल (SPORTS)

1. **खेल संरचना:** फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, और एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ झारखंड के सभी जिलों में खेल परिसर और प्रशिक्षण अकादमियाँ बनाई जाएंगी।

2. **खेल छात्रवृत्ति:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी, ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण उनकी प्रगति न रुके।

3. **सरकारी नौकरियों में खेल कोटा:** एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारी नौकरियों में खेल कोटा लागू किया जाएगा, और राज्य या देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **स्थानीय खेलों को बढ़ावा:** पारंपरिक खेलों जैसे खो-खो, कबड्डी, और आदिवासी खेलों का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सुशासन (Good Governance)

भ्रष्टाचार विरोधी सुधार (ANTI-CORRUPTION REFORMS)

1. **भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति:** भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शून्य सहिष्णुता नीति लागू की जाएगी, जिसमें व्हिसलब्लोअर सुरक्षा कानून होंगे और सभी रिपोर्टेड मामलों की स्वतंत्र जांच हो|

2. **स्थानांतरण और पदस्थापना:** किसी भी पद पर एक नौकरशाह को पाँच साल के लिए बनाए रखा जाएगा और उन्हें परिणाम देने होंगे। यदि किसी ने प्रदर्शन में कमी दिखाई, तो उनके खिलाफ दंडात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। अनावश्यक स्थानांतरण और पदस्थापनाओं को रोका जाएगा।

3. **पारदर्शिता और जवाबदेही:** शासन को पारदर्शी बनाने के लिए नियमित सार्वजनिक ऑडिट होंगे और नागरिकों के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर शिकायत समाधान प्रणाली लागू की जाएगी।

4. **परिणाम/प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन:** सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति और बोनस को प्रदर्शन परिणामों से जोड़ा जाएगा, ताकि एक कुशल और उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित हो सके।

5. **नागरिक-प्रथम सेवा वितरण:** सभी जिलों में एक-स्टॉप सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां राशन कार्ड, पेंशन, और सामाजिक लाभ जैसी सरकारी सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान की जा सकें।

ग्राम सभा और पेसा को सशक्त बनाना

1. **अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (PESA) का कार्यान्वयन:** राज्य के 32,000 गांवों में एक PESA कार्यान्वयन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो 20,000 सामुदायिक नेताओं को कानूनी अधिकारों पर प्रशिक्षित करेगा। इन स्थानीय शासन मंचों में लैंगिक संतुलन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आदिवासी भूमि की सुरक्षा और सामुदायिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

2. **ग्राम सभा को सशक्त बनाना:** ग्राम सभाओं में लैंगिक विविधता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी हो।

पारदर्शिता और नागरिक सेवा वितरण

1. झारखंड ने भ्रष्टाचार और शासन में अक्षम कार्यप्रणाली की चुनौतियों का सामना किया है, जिससे यह पारदर्शिता सूचकांकों में अक्सर नीचे रहा है। इसे सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी सुधार पेश किए जाएंगे और नागरिकों के लिए प्राथमिकता वाली सेवा वितरण नीति लागू की जाएगी, जिससे प्रत्येक निवासी को समय पर सेवाएं मिल सकें।

2. हम सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहनों को लागू करेंगे और सरकारी खर्चों की सार्वजनिक जांच के लिए ओपन डेटा प्लेटफार्मों की स्थापना करेंगे, ताकि झारखंड की शासन सूचकांकों पर रैंकिंग में सुधार किया जा सके।

AdiNeeti

Strengthening Roots

Adineeti Development Foundation

Ranchi, Jharkhand, India – 834004

CIN: U85300JH2020NPL015644

Reg. No: 15644

Email: adineeticonsulting@gmail.com

Phone: +91 81020 85774, +91 83369 47046